न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस

प्रकरण सं. 09/2017 प्रार्थना पत्र (निगरानी)

जी.सी.एम.एस. नंबर: 2017/00129

1. गामू लाल पिता कूकाजी गमेती निवासी: नयाघर, भुवाणा, तहसील–बड़गांव, उदयपुर

...... प्रार्थी

बनाम

1. श्री शौकत खान पठान पिता श्री अब्दुल खान पठान निवासी: ग्राम वल्लभनगर, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर
2. श्री प्रकाश नागौरी पिता श्री हिम्मतसिंह नागौरी निवासी: 61, न्यू अहिंसापुरी, फतहपुरा, उदयपुर
3. ग्राम पंचायत भुवाणा, पंचायत समिति बड़गांव, जिला उदयपुर जरिये सचिव, ग्राम पंचायत भुवाणा

..........विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित:– 1. श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजीव पामेचा, अधिवक्ता वि.सं. 2
3. श्री मनोज कुमार पंवार, अधिवक्ता वि.स. 3

निर्णय

दिनांक– 15-10-2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत भुवाणा का एक पट्टा दिनांक 31.12.2004 को ग्राम पंचायत भुवाणा से अपने पक्ष में जारी करना बताया, जिसकी पत्रावली संख्या 20/2004 लिखा एवं पंचायत के संकल्प संख्या 3 दिनांक 30.12.2004 करे एक पट्टा जारी करना बताया। विपक्षी संख्या 1 जो कभी ग्राम पंचायत भुवाणा में कभी नहीं रहा, वह तहसील वल्लभनगर का स्थायी निवासी है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 भुवाणा के द्वारा बापी पट्टा जारी नहीं किया जा

जिला कलक्टर
उदयपुर

सकता। विपक्षी संख्या 1 ने उक्त पट्टा प्राप्त करते हुए पट्टे के आधार पर तथाकथित भुखण्ड विपक्षी संख्या 2 को विक्रय कर दिया। प्रार्थी के पास एक भूखण्ड ग्राम पंचायत भूवाणा की आराजी नंबर 2964 की भूमि पर अर्से कदीम से अर्थात बाप–दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है। पूर्व में इसी भूखण्ड को लेकर एक श्री देवेन्द्र तेली ने प्रार्थी व उसके भाई के विरूद्ध माननीय सिविल न्यायाधीश (क.ख) उदयपुर (दक्षिण) में वाद पेश किया था जिसका नंबर 47/07 ई.दी. है, जो दिनांक 02.02.2013 को वादी देवेन्द्र तेली की अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का अर्से कदीम से कब्जा चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 को जारी उक्त पट्टा पूर्णतया फर्जी है जिसके लिए प्रार्थी ने पुलिस थाना सुखेर में एक प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या 112/2017 दर्ज कराई जिसमें भी अनुसंधान के दौरान उक्त भूखण्ड पर कब्जा प्रार्थी का ही पाया गया। ग्राम पंचायत भुवाणा द्वारा वर्ष 2010 से 15 के बीच कई फर्जी पट्टे जारी किए गए जिस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों उदयपुर में शिकायत की गई और ब्यूरों द्वारा जब ग्राम पंचायत भुवाणा के सन् 2000 से लेकर 2005 तक का रिकार्ड मांगा गया तो उन्हें बताया गया कि इस अवधि का रेकार्ड ग्राम पंचायत के पास नहीं है। जब ग्राम पंचायत के पास रिकार्ड ही नहीं है तो इससे भी स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 के नाम जो पट्टा जारी हुआ वह पूर्णरूप से फर्जी है और यह पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी ही नहीं किया गया और फर्जी पट्टे के आधार पर विपक्षी संख्या 1 ने पट्टे में बताई गई भूमि को विपक्षी संख्या 2 को विक्रय कर दिया जो विक्रय भी पूर्णतया शून्य व अवैध है। विपक्षी संख्या 2 आये दिन विपक्षी संख्या 1 द्वारा किये गये विक्रय पत्र एवं विपक्षी संख्या 1 के फर्जी पट्टे के आधार पर प्रार्थी को धमकाते रहते है और उसे अपने मकान व जमीन से बेदखल करने की धमकी देते रहते हैं। तथाकथित पट्टा जो पूर्णतय फर्जी है जिस

जिला कलक्टर
उदयपुर

समय का पट्टा बताया गया है उस समय भूमि चारागाह में थी जिसे बाद में मिसल संख्या 124/06 सहायक कलक्टर, उदयपुर (मुख्यालय) के निर्णय दिनांक 22.02.2006 से विकास पंचायत, भूवाणा के नाम दर्ज हुई है। इस प्रकार वर्ष 2004 में चारागाह भूमि पर विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी हो ही नहीं सकता है। दिनांक 15.11.2017 को विपक्षी संख्या 2 मौके पर आया और धमकी दी कि प्रार्थी अपने मकान व भूखण्ड को छोड़कर चला जावे वरना वह कानून को हाथ में लेकर प्रार्थी को बदेखल कर देगा और भूखण्ड पर जबरन कब्जा कर लेगा तो प्रार्थी को यह आवश्यक हो गया है कि वह तथाकथित पट्टे को खारिज करवाने की कार्यवाही करें। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत भुवाणा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा दिनांक 30.12.2004 को शून्य व अवैध घोषित कराते हुए निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अप्राप्त। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित जिसके विरूद्ध एकपक्षीयं कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीदार द्वारा अपनी निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के पास एक भूखण्ड ग्राम पंचायत भूवाणा की आराजी नंबर 2964 की भूमि पर अपने बाप–दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत भुवाणा का एक पट्टा दिनांक 31.12.2004 को ग्राम पंचायत भुवाणा से अपने पक्ष में जारी करना बताया, जिसकी पत्रावली संख्या 20/2004 लिखा एवं पंचायत के संकल्प संख्या 3 दिनांक 30.12.2004 करे एक पट्टा जारी करना बताया। उक्त पट्टा जब जारी किया गया उस वक्त उक्त भूमि चारागाह थी। जिस दिनांक

जिला कलक्टर
उदयपुर

30.12.2004 को पट्टा जारी हुआ उसकी कोई पत्रावली ही उपलब्ध नहीं है। विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत भूवाणा का स्थायी निवासी नहीं होकर तहसील वल्लभनगर का निवासी है। विपक्षी संख्या 1 ने उक्त पट्टा प्राप्त करते हुए पट्टे के आधार पर तथाकथित भुखण्ड विपक्षी संख्या 2 को विक्रय कर दिया। ग्राम पंचायत भुवाणा द्वारा वर्ष 2010 से 15 के बीच कई फर्जी पट्टे जारी किए गए जिस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों उदयपुर में शिकायत की गई और ब्यूरों द्वारा जब ग्राम पंचायत भुवाणा के सन् 2000 से लेकर 2005 तक का रिकार्ड मांगा गया तो उन्हें बताया गया कि इस अवधि का रेकार्ड ग्राम पंचायत के पास नहीं है। जब ग्राम पंचायत के पास रिकार्ड ही नहीं है तो इससे भी स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 के नाम जो पट्टा जारी हुआ वह पूर्णरूप से फर्जी है और यह पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी ही नहीं किया गया और फर्जी पट्टे के आधार पर विपक्षी संख्या 1 ने पट्टे में बताई गई भूमि को विपक्षी संख्या 2 को विक्रय कर दिया जो विक्रय भी पूर्णतया शून्य व अवैध है। अतः प्रार्थना प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत भुवाणा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा दिनांक 30.12.2004 को शून्य व अवैध घोषित कराते हुए निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30.12.2004 को एक पट्टा विपक्षी संख्या 1 के नाम जारी किया गया। विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड़ खरीदी है। कन्फर्मेशन डीड भी 2012 में हमारे हक में हुई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 द्वारा निवेदन किया गया कि चारागाह भूमि पर पट्टा जारी नहीं हो सकता है साथ ही उक्त पट्टे

जिला कलक्टर
उदयपुर

के जारी होने का पंचायत भुवाणा में कोई रिकार्ड नहीं है। न जो राशि जमा होती है उसका कोई रिकार्ड है। न पट्टे की प्रतिलिपि जिला परिषद को जाती है उसका भी कोई रिकार्ड नहीं है। आराजी संख्या 2964 चारागाह थी एवं पंचायत द्वारा ऐसा कोई पट्टा जारी नहीं किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अध्ययन किया गया। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत नज़ीरों को अध्ययन किया गया। संलग्न जमाबंदी ग्राम भुवाणा की संवत 2062 से 2065 में दर्ज आराजी न. 2964 रकबा 3.1900 होकर किस्म चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु काश्त दर्ज थी एवं चारागाह भूमि पर पंचायत द्वारा पट्टा जारी नही किया जा सकता है जब तक कि भूमि पंचायत के नाम आबादी दर्ज रिकार्ड नही हो जाती है। उक्त आराजी का खातेदार राज्य सरकार है ग्राम पंचायत भुवाणा के नाम दर्ज नही थी। उक्त स्थिति के स्पष्टीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत भुवाणा द्वारा जारी पट्टे के संबंध में कोई पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया किन्तु कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही होना अवगत कराया गया। उपस्थित अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 द्वारा भी निवेदन किया गया है कि पंचायत द्वारा दिनांक 30.12.2004 को विपक्षी संख्या 1 के नाम से कोई पट्टा जारी नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में पट्टे की वैधानिकता संदेहास्पद है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य संबूत प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर यह माना जाये कि जिस स्थान का पट्टा दिया गया है वहां पर विपक्षी संख्या 1 का पैतृक पुराना मकान रहा हो। जिससे वह राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखता हो। ऐसी स्थिति में आराजी न. 2964 में ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय पटट्ा जारी नही किया जा सकता है।

जिला कलक्टर
उदयपुर

विपक्षी संख्या 2 जारी पट्टे की वैधानिकता की पुष्टि करने में असफल रहा है। विपक्षी संख्या 1 का कथन है कि पट्टे का रजिस्टर्ड पंजीयन कराया गया है लेकिन पंजीकृत होने से ही पट्टे को वैध नही माना जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा भी दौराने बहस कोई पट्टा जारी नही किये जाने का निवेदन किया गया है। ग्राम पंचायत भुवाणा में भी कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है। अतः विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत पट्टा तत्समय जमाबन्दी अनुसार राजस्व ग्राम भुवाणा के आराजी नंबर 2964 किस्म किस्म चारागाह व अन्य सामान्य काम हेतु काश्त दर्ज होना एवं पंचायत द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं किया जाना स्पष्ट होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी सं. 01 श्री शौकत खान पठान पुत्र अब्दुल खान पठान के पक्ष में जारी पट्टा आदेश दिनांक 30.12.2004 को खारिज किया जाता हैं।

निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति बडगांव, उदयपुर को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर